न्यायालय सहायक कलक्टर, निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
पीठासीन अधिकारी :– रमेश सीरवी पुनाड़ियॉ (R.A.S.)

प्रकरण संख्या –194 / 2022
GCMS No. –2022 / 596

1. श्रीमति अनिता पत्नी श्यामसुन्दर माहेश्वरी निवासी निम्बाहेड़ा तहसील निम्बाहेड़ा (राज0)।
2. श्रीमति आशा पत्नी उमेशचन्द्र माहेश्वरी निवासी निम्बाहेड़ा तहसील निम्बाहेड़ा (राज0)।

वादीगण

बनाम

1. कैलाश पिता बंशीलाल तेली निवासी रानीखेड़ा तहसील निम्बोहड़ा (राज0)।
2. गोपाल पिता रतनलाल तेली निवासी रानीखेड़ा तहसील निम्बोहड़ा (राज0)।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब, निम्बाहेड़ा (राज0)।

प्रतिवादीगण

वाद तहत धारा 183, 188 व 209 राज0का0अधि0

उपस्थितः– 1– श्री अनुराग औझा – अधिवक्ता वादीगण
2– प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक पक्षिय कार्यवाही

:: निर्णय :: दिनांक :– 29.12.23

1. प्रकरण में संक्षिप्त विवरण मामला इस प्रकार है कि वादीगणों ने एक दावा अन्तर्गत धारा 183, 188 व 209 रा0का0अधि0 1955 का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाके मौजा अमिनपुरा पटवार हल्का बाड़ी तहसील निम्बाहेड़ा की खाता संख्या 3 के आराजी नम्बर 25 रकबा 1.0400 हैक्टेयर वादीगणों की खातेदारी की स्थित है, प्रतिवादीगण का वादीगणों की उपरोक्त आराजी से कोई संबंध सरोकार नहीं है फिर भी प्रतिवादीगण वादी की आराजी नम्बर 25 की पूर्वी सीमा पर 25 मीटर और दक्षिणी पूर्वी कौने पर 13 मीटर उत्तरी पूर्वी कौने की भूमि पर जबरन आधिपत्य धारित किये बैठे है, वादीगणों ने अपनी आराजीयात की पत्थरगढ़ी कराई तब प्रतिवादीगणों के इस अवैध आधिपत्य का ज्ञान हुआ एवं वादीगणों ने प्रतिवादीगणों को उक्त भूमि से कब्जा हटाने हेतू निवेदन किया तो प्रतिवादीगण इन्कार हो गए और अनावश्यक विवाद किया और वादी की खातेदारी की अन्य भूमि पर भी कब्जा करने का असफल प्रयास किया, जिस कारण मजबूरन वादीगणों को यह दावा माननीय न्यायालय में प्रस्तुत करना पड़ा तथा प्रतिवादीगणों का आराजी नम्बर 25 से पूर्वी सीमा से 25 मीटर दक्षिणी पूर्वी और 13 मीटर पूर्वी उत्तरी कौने से प्रतिवादीगण का आधिपत्य हटाकर वादीगणों को सुपूर्द करा जाये तथा प्रतिवादीगणों को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करावें कि वे वादीगण की आराजी नम्बर 25 पर या उसके किसी भी भाग पर कोई कब्जा नहीं करें ना किसी अन्य से करावें, कोई लड़ाई झगड़ा वाद विवाद नहीं करें आदि दावा प्रस्तुत किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.01.12 17:17:53 IST
Reason: SelfAttested

2. वाद दर्ज रजिस्टर किया गया, प्रतिवादीगण को जरिये सूचना पत्र तलब किया गया, बावजुद बाद तामिल वकील मय प्रतिवादीगण अनुस्थित, इसलिए इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही का आदेश प्रदान किया गया।

3. दस्तावेजी साक्ष्य में वादी ने नकल जमाबन्दी सम्वत 2077–80 ग्राम अमीनपुरा पटवार हल्का बाडी की खाता संख्या 3 आराजी नम्बर 25 की प्रति पेश की जो प्रदर्श–1 है जिसमें वादीगण बतौर खातेदार दर्ज रिकार्ड है, एवं भू–अभिलेख निरिक्षक बाड़ी का पर्चा मौका पेश किया जो कि प्रदर्श– 2 है।

4. बहस विद्वान अधिवक्ता वादी की सुनी गई। मिसल का अवलोकन करते हुए पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया। अधिवक्ता वादी की बहस एक पक्षिय सुनी गई।

5. वभिन्न न्यायिक दृष्टांतो का अध्ययन किया जो कि निम्नानुसार हैः–

i. 1. कतिपय अतिक्रमियों की बेदखली (1) इस अधिनियम के किन्हीं भी प्रावधानों में किसी विपरीत बात के होते हुए भी कोई अतिक्रमी जिसने किसी भूमि को कब्जे में बिना वैध अधिकार के ले लिया है या ले रखा है, उस व्यक्ति या उन व्यक्तियों के बाद पर जो उसे आसामी के रूप में बेदखली करने के हकदार है, उपधारा (2) के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, बेदखली का भागी होगा और साथ ही प्रत्येक कृषि वर्ष जिसमें उसने पूरे वर्ष या वर्ष के कुछ भाग में इस प्रकार कब्जा रखा हो, के लिये जुर्माने के तौर पर ऐसी रकम चुकाने का भी भागी होगा जो सालान लगान के पन्द्रह गुने तक हो सकती है।

(2) ऐसी भूमि जो सीधे राज्य सरकार से लेकर धारण की हुई हो या जिस पर राज्य सरकार तहसीलदार की मार्फत अतिक्रमी को आसामी के रूप में स्वीकार करने की हकदार है, तहसीलदार राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 (राज. एक्ट 15 सन् 1956) की धारा 91 के प्रावधानों के अनुसरण में कार्यवाही करेगा।

ii. जो व्यक्ति बिना अनुमति के भूमि पर काबिज रहता है यह अतिक्रमी, है। माधो बनाम कल्याण 1960 आर.आर.डी. 89, 1960 आर.आर.डी. 141

iii. वादी का वाद इस धारा के अन्तर्गत सफल हो सके उसे यह प्रमाणित करना पड़ेगा कि प्रतिवादी अतिक्रमी है। शांतिलाल बनाम मोहनलाल 1968 आर. आर. डी. 267, 1970 आर.आर.डी. 179

iv. इस धारा के अन्तर्गत बेदखली का वाद किया जाता है। 1965 आर.आर.डी. 133, शेरसिंह बनाम उम्मेदसिंह 1966 आर.आर.डी. 236, 1963 आर.आर.डी. 188, 1974 आर.आर. डी. 281, 1974 आर.आर.डी. 492

v. एक बार वादी यदि यह सिद्ध कर देता है कि वह खातेदार है तो सारा भार प्रतिवादी पर जाता है कि वह कब्जा वैधानिक रखेगा। कालू बनाम मु. नवली 1979 आर.आर.डी. 02

vi. जहाँ एक बार वादी द्वारा अपना हक साबित कर दिया जाता है एवं प्रतिवादी यह साबित करने में असफल रहता है कि उसने विवाद ग्रस्त भूमि पर कब्जा

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.01.12 17:17:53 IST
Reason: SelfAttested

किस आधार पर किया वहां प्रतिवादी अतिक्रमी की श्रेणी में आता है। जबरसिंह बनाम श्रीमती दुर्गा 1984 आर.आर.डी. 529

vii. प्रतिवादी प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं कर सकता, अविक्रमी खातेदारी का अधिकार प्राप्त नहीं कर सकता। लालसिंह बनाम मांगीलाल 1985 आर. आर.डी. 638

viii. वादी को अपना हक साबित करना चाहिये, तथा प्रतिवादी को यह साबित करना जरूरी होता है कि उसका लगातार आबाद रूप से कब्जा है अपंजीकृत दस्तावेज के आधार पर किसी तरह का कोई हक प्राप्त नहीं होता है और उसके आधार पर किसी प्रकार कब्जा भी प्राप्त नहीं किया जा सकता। छोटू बनाम श्रीमती कस्तूरी 1987 आर.आर.डी. 466

ix. जब कोई व्यक्ति विवादित भूमि पर यह नहीं दिखा पाता है कि वह उस पर किस हैसियत से काबिज है या कृषि कर रहा है तो वह अतिक्रमी माना जायेगा। अतिक्रमी काश्तकार के पक्ष में किये गये किसी आदेश को चैलेन्ज नहीं कर सकता। काजी लतीफ बनाम खेमा 1988 आर.आर. डी. 214

x. अतिक्रमी के विरुद्ध दावा धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया जाता है। (गंगाराम बनाम चावन्दा, 1992 आर.आर.डी. 73)

6. दस्तावेजी साक्ष्य में वादी ने नकल जमाबन्दी सम्वत 2077–80 ग्राम अमीनपुरा पटवार हल्का बाडी की खाता संख्या 3 आराजी नम्बर 25 की प्रति पेश की जो प्रदर्श–1 है जिसमें वादीगण बतौर खातेदार दर्ज रिकार्ड है, एवं भू–अभिलेख निरिक्षक बाड़ी का पर्चा मौका पेश किया जो कि प्रदर्श– 2 है।

7. अधिवक्ता वादी की बहस सुनने उपरान्त पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया, प्रदर्श–1 जमाबंदी जिसमें वादीगण बतौर खातेदार दर्ज है जिसकी पत्थरगढ़ी वादीगणों द्वारा इसी न्यायालय से दिनांक 28.04.2022 करो जारी हुक्मनामा अनुसार दिनांक 14.05.2022 को कराई, जिसमें मौतबिरान की उपस्थिति में भू–अभिलेख निरिक्षक द्वारा वादग्रस्त सम्पत्ति की पत्थरगढ़ी की गई, उक्त पर्चे मौके मे भू–अभिलेख निरिक्षक द्वारा स्पष्ट रूप से अंकित किया हुआ है कि आराजी नम्बर 25 की पूर्वी सीमा 25 मीटर दक्षिण पूर्वी, 13 मीटर पूर्वी उत्तरी कौना गोपाल पिता रतनलाल और कैलाश पिता बंशीलाल तेली निवासी रानीखेड़ा का कब्जा पाया गया जिससे वादीगण अपने वाद को साबित करने मे पूर्णतयां सफल हुए है जिस कारण वाद वादीगण का डिक्री किया जाता है एवं वादीगणों को प्रतिवादीगण क्रमांक 1 व 2 द्वारा अवैध आधिपत्य किये भू–भाग को पुनः वादीगणों को सुपूर्द करने का आदेश प्रतिवादी क्रमांक 1, 2 व 3 को दिया जाता है।

8. अतः वाद वादीगण कतई डिक्री किया जाता है तथा यह आदेश दिया जाता है कि विवादित भूमि वा[illegible]ख्या 3 के आराजी नम्बर 25 रकबा 1.4 हैक्टेयर मे से उक्त अ[illegible]जा[illegible] पूर्वी सीमा से 25 मीटर दक्षिणी पूर्वी एवं 13 मीटर पूर्वी उत्तरी कौने का [illegible] पर जो अवैध आधिपत्य प्रतिवादी क्रमांक 1 व 2 का है, [illegible] आधिपत्य पुनः वादीगण को प्रतिवादी क्रमांक 3 तहसीलदार निम्बाहेड़ा द्वारा सुपूर्द किया जाये साथ ही प्रतिवादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.01.12 17:17:53 IST
Reason: SelfAttested

क्रमांक 1 व 2 को इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे वादीगणों की खातेदारी की आराजी नम्बर 25 मे किसी प्रकार की दखलअंदाजी नही करें उसके किसी भी भू–भाग पर पुनः कोई कब्जा नहीं करें, मौके पर लड़ाई झगड़ा वाद विवाद नहीं करें, शांतिपूर्ण तरीके से वादीगणों को काबिज काश्त रहने दें। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। डिक्री पर्चा पृथक से बनाया गया

9. निर्णय आज दिनांक 29.12.2023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाड़ियॉ)
सहायक कलक्टर,
निम्बाहेड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.01.12 17:17:53 IST
Reason: SelfAttested

मूल वाद में अन्तिम डिक्री
न्यायालय सहायक कलक्टर, निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़
पीठासीन अधिकारी :– रमेश सीरवी पुनाड़ियाँ (R.A.S.)

प्रकरण संख्या –194 / 2022
GCMS No. –2022 / 596

1. श्रीमति अनिता पत्नी श्यामसुन्दर माहेश्वरी निवासी निम्बाहेड़ा तहसील निम्बाहेड़ा (राज0)।
2. श्रीमति आशा पत्नी उमेशचन्द्र माहेश्वरी निवासी निम्बाहेड़ा तहसील निम्बाहेड़ा (राज0)।

वादीगण

बनाम

1. कैलाश पिता बंशीलाल तेली निवासी रानीखेड़ा तहसील निम्बोहड़ा (राज0)।
2. गोपाल पिता रतनलाल तेली निवासी रानीखेड़ा तहसील निम्बोहड़ा (राज0)।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब, निम्बाहेड़ा (राज0)।

प्रतिवादीगण

<u>वाद तहत धारा 183, 188 व 209 राज0का0अधि0</u>

प्रकरण में आज दिनांक को वादी के अधिवक्ता श्री अनुराग ओझा की उपस्थित में पत्रावली अन्तिम बहस हेतु प्रस्तुत होने पर आदेश दिया जाता है कि वाद वादी कतई डिक्री किया जाता है तथा यह आदेश दिया जाता है कि विवादित भूमि वाके मौजा अमिनपुरा खाता संख्या 3 के आराजी नम्बर 25 रकबा 1.4 हैक्टेयर मे से उक्त आराजी की पूर्वी सीमा से 25 मीटर दक्षिणी पूर्वी एवं 13 मीटर पूर्वी उत्तरी कौने की भूमि पर जो अवैध आधिपत्य प्रतिवादी कमांक 1 व 2 का है, को हटाकर उक्त आधिपत्य पुनः वादीगण को प्रतिवादी कमांक 3 तहसीलदार निम्बाहेड़ा द्वारा सुपूर्द किया जाये साथ ही प्रतिवादी कमांक 1 व 2 को इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे वादीगणों की खातेदारी की आराजी नम्बर 25 मे किसी प्रकार की दखलअंदाजी नही करें उसके किसी भी भू–भाग पर पुनः कोई कब्जा नहीं करें, मौके पर लड़ाई झगड़ा वाद विवाद नहीं करें, शांतिपूर्ण तरीके से वादीगणों को काबिज काश्त रहने दें। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। डिक्री पर्चा पृथक से बनाया गया

यह आज दिनांक 29.12.2023 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Singh Punadia
Date: 2024.01.12 17:17:53 IST
Reason: SelfAttested

(रमेश सीरवी पुनाड़ियाँ)
सहायक कलक्टर
निम्बाहेड़ा